<u>न्यायालय: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–2, गाजियाबाद।</u>

उपस्थितः गौरव शर्मा (एच० जे० एस०)
J O I.D. U P 6276
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 3472/2025
कम्प्यूटर रजि० संख्या– 9231/2025
CNR NO–UPGZ010194322025

निशिकांत प्रसाद पुत्र नवल किशोर प्रसाद, निवासी– ग्राम आरारी पोस्ट जनता जारीडीह, थाना– बिरानी आररि पलोनजिया, बिरनी गिरिडीह(झारखण्ड)।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० सरकार

मु०अ०सं०– 01/2024
धारा–420 भा०दं०सं०
एवं 66D आई०टी० एक्ट।
थाना– साईबर क्राईम, जिला गाजियाबाद।

<u>दिनांक 12.03.2026–</u>

1– प्रार्थी/अभियुक्त निशिकांत प्रसाद पुत्र नवल किशोर प्रसाद की ओर से यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मु०अं०सं०– 01/2024, अंतर्गत धारा– 420 भा०दं०सं० एवं 66D आई०टी० एक्ट, थाना– साईबर क्राईम, जिला गाजियाबाद के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है।

2– अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में किए गए अभिकथनों के समर्थन में प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उक्त केस के बाबत प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जमानत प्रार्थनापत्र विचाराधीन नहीं है।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त ने सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा हिना अग्रवाल को टेलीग्राम व व्हाटसएप के माध्यम से ग्रुप में जोड़कर 92,92,139/– रूपये धोखाधाड़ी से हड़प लिये। जिसके संबंध में वादिनी मुकदमा द्वारा लिखित तहरीर प्रस्तुत कर थाना– साईबर क्राइम, गाजियाबाद पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया।

4– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के आलोक में तर्क किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है व उसे गलत तरीके से झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण में संबंधित किसी प्रकार का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उक्त प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का कोई दिनांक व समय अंकित नहीं है, जिससे उक्त प्रकरण की तमाम घटना स्वयं में ही संदिग्ध प्रतीत होती है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मुकदमा वादिया के साथ धोखाधड़ी करते हुए साईबर फ्राड करके कोई धनराशि प्राप्त नहीं की है और न ही प्रार्थी/अभियुक्त ने मुकदमा वादिया से कभी उसके मोबाइल नंबर पर कभी कोई कॉल कर बात की न ही फ्राड किया। प्रार्थी/अभियुक्त को पुलिस थाना– साईबर क्राईम गाजियाबाद गिरफ्तार करने की फिराक में है तथा प्रार्थी/अभियुक्त के घर पर बार–बार आकर दबिश दे रही है। प्रार्थी/अभियुक्त विवेचनाधिकारी महोदय द्वारा की जा रही विवेचना में अपना पूर्ण सहयोग देगा। प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ समस्त भारतवर्ष में उपरोक्त केस के अलावा अन्य कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है न ही कोई आपराधिक इतिहास है। प्रार्थी/अभियुक्त ने पूर्व में या आज तक किसी भी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कोई भी कारावास नहीं भोगा है। प्रार्थी/अभियुक्त का भागने एवं गवाहन तोड़ने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त मा० न्यायालय की संतुष्टि हेतू अपनी उचित जमानत देने को तैयार है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना है।

5– विद्वान पी०पी०(पी०सी०) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा से बड़ी रकम

की धोखाधड़ी की है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत का कोई आधार नहीं है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन ।

7– प्रस्तुत प्रकरण साईबर क्राईम से सम्बन्धित है, जिसमें प्रत्येक अभियुक्त की अपनी विशिष्ट भूमिका होती है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा से धोखाधड़ी करके, अवैध रूप से धनराशि हड़पने का अभियोग है। अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा के खाता सं०–31580100028553 BARBOVIJGHA से सीधे प्रार्थी/अभियुक्त निशिकांत प्रसाद(UPI ID–nishikantverma9661–4@okhdfcbank) के खाते में 2000/–(दो हजार) रूपये व 15,000/–(पंद्रह हजार रूपये) कुल 17,000/–(सत्तराह हजार) रूपये गये है तथा वादिनी के साथ करीब 93,00,000/–(तिरानवे लाख) रूपये की धोखाधड़ी हुई है। प्रकरण में विवेचना अभी प्रचलित है तथा प्रार्थी/अभियुक्त गैर प्रान्त का रहने वाला है, यदि उसे अग्रिम जमानत पर छोड़ा गया तो उसके फरार होने की प्रबल सम्भावना है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। सह–अभियुक्त की अग्रिम जमानत पूर्व में सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त हो चुकी है। मामले के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु पर्याप्त आधार नहीं है। अतः मामले के तथ्य, परिस्थितियों एवं केस डायरी में अपराध की प्रकृति तथा प्रार्थी/अभियुक्त की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुये, प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त निशिकांत प्रसाद पुत्र नवल किशोर प्रसाद की ओर से प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(गौरव शर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–2,
गाजियाबाद।